भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 733
दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

औषध अपशिष्ट प्रबंधन

733. श्री मड्डीला गुरुमूर्तिः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेहतर विशेषकर उत्पादन स्तर पर औषध अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि वर्तमान में केवल 38 प्रतिशत फार्मा क्षेत्र की कंपनियां ही देश में संवहनीयता रिपोर्टें प्रकाशित कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की सभी फार्मा क्षेत्र की कंपनियों को इसी प्रकार की रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए अनिवार्य करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार सभी प्रमुख फार्मा विनिर्माण इकाइयों को उनके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने, जल तटस्थता बढ़ाने और विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान और बाद में उत्पन्न अपशिष्ट को कम करने जैसी स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए अधिदेशित करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (सुश्री अनुप्रिया पटेल)

(क): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने औषध उद्योग के लिए अपशिष्ट और उत्सर्जन निर्वहन मानकों को अधिसूचित किया है। इन मानकों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा सहमति तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, अर्थात अधिसूचित मानकों को एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा जल अधिनियम अथवा वायु अधिनियम के तहत जारी सहमति आदेश अथवा खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियमों के तहत प्राधिकार द्वारा लागू किया जाता है।

जीएसआर 541(अ) दिनांक 6 अगस्त, 2021 के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बल्क औषधि और सम्मिश्रण (औषध) उद्योग के लिए मानकों को अधिसूचित किया। इन मानकों का उद्देश्य औषध विनिर्माण गतिविधियों के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को विनियमित और कम करना, पर्यावरण मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना और उद्योग के भीतर स्थायी पद्धतियों का संवर्धन करना है। यह अधिसूचना औषध क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है।

इस अधिसूचना में निर्धारित किया गया है कि:

(i) केमिकल और बायोलोजिकल गाढ़ा कीचड़ या किसी अवशेष, जो उद्योग की जल अपशिष्ट प्रणाली या इसके प्रबंधन सुविधाकेन्द्र से अथवा औषध के बल्क औषधि फॉर्मूलेशनों के विनिर्माण में लगे उद्योग की पूर्ति करने वाले सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) से बाहर निकला हो, संकेद्रित होकर सृजित हुआ हो, को खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट के रुप में वर्गीकृत किया गया है और इसे इन नियमों के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीके से प्रबंधित किया जाएगा।

(ii) एसपीसीबी/पीसीसी सदस्य उद्योगों की आवश्यकताओं और उत्सर्जन क्षमता के अनुसार इस अधिसूचना के पैरा क (ii) में दिए गए अतिरिक्त प्रासंगिक मापदंडों को निर्धारित करेंगे और प्राप्त पर्यावरण स्थितियों पर विचार करते हुए निगरानी की आवृत्ति विनिर्दिष्ट करेंगे।

(iii) अवसान या फेंकी गई दवाओं का उपचार और निपटान स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों और सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाकेन्द्रों द्वारा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (बीएमडब्ल्यू नियम) की अनुसूची-I के अनुसार और अनुसूची-II में दिए गए मानकों के अनुपालन में किया जाएगा।

(iv) दवाओं/औषध और स्वास्थ्य देखभाल के उत्पादन/विनिर्माण से उत्पन्न अवसान तिथि वाले उत्पादों को खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 की अनुसूची-I की श्रेणी 28.5 के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है और अधिभोगी/विनिर्माता को नियमों के तहत निर्धारित अधिभोगी की जिम्मेदारियों के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन और सुरक्षित निपटान की प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है।

(V) "सक्रिय औषधीय घटक (एपीआई) अवशेषों के लिए निगरानी तंत्र पर दिशानिर्देश" केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा तैयार किए गए हैं और मूल आवेदन संख्या

136/2020 के मामले में माननीय प्रधान पीठ, नई दिल्ली के एनजीटी आदेश के अनुपालन में सभी एसपीसीबी/पीसीसी को परिचालित किए गए हैं।

(vi) अपशिष्ट स्रोतों से एंटीबायोटिक अवशेषों को कम करने के लिए, उद्योग औषधीय यौग अवशेषों के जोखिम को न्यूनतम करने हेतु विस्तारण को अधिकाधिक करने अथवा शून्य तरल निर्वहन (जेडएलडी) के लिए उपचारित उत्सर्जन को कम करने, पुनर्चक्रित करने और पुनः उपयोग करने को अपना रहा है।

(ख) और (ग): भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्र-सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी-2/पी/सीआईआर/2021/562, दिनांक 10.05.2021 की शर्तों के अनुसार सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता की रिपोर्टिंग शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों (बाजार पूंजीकरण के अनुसार) के लिए अनिवार्य है।

(घ): बल्क औषधियों और मध्यवर्ती सामग्री का विनिर्माण पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 की अनुसूची की क्र.सं.5(च) में सूचीबद्ध है और अनुसूची में श्रेणी 'क' अथवा 'ख' के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों के आधार पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या संबंधित राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होती है। पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करते समय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरणीय सुरक्षा के रूप में विशिष्ट और सामान्य शर्तों को निर्धारित करता है। औषध उद्योगों के लिए संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी से संचालन की सहमति प्राप्त करने के बाद ही संचालन करना अनिवार्य है। सभी उद्योगों के लिए अपशिष्ट उपचार संयंत्र और वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली रखना और निर्धारित अपशिष्ट और उत्सर्जन निर्वहन मानकों का पालन करना अनिवार्य है। इसके अलावा, सीपीसीबी ने निगरानी तंत्र को मजबूत करने और स्व-विनियामक तंत्र और प्रदूषण के स्तर पर निरंतर निगरानी के माध्यम से प्रभावी अनुपालन के लिए उच्च प्रदूषण क्षमता वाले उद्योगों की सभी 17 श्रेणियों, गंगा बेसिन के अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों और सामान्य अपशिष्ट उपचार सुविधाओं को ऑनलाइन सतत अपशिष्ट/उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करने का निर्देश दिया है। ओसीईएमएस के माध्यम से उत्पन्न व्यापार अपशिष्ट और उत्सर्जन के पर्यावरण प्रदूषकों के वास्तविक समय के स्तरों को सीपीसीबी और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को 24x7 आधार पर ऑनलाइन प्रेषित किया जाता है। केंद्रीय सॉफ्टवेयर इन आंकड़ों को प्रोसेस करता है और यदि प्रदूषक पैरामीटर का स्तर निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों से अधिक है, तो एक स्वचालित एसएमएस अलर्ट सृजित होता है और औद्योगिक इकाई, एसपीसीबी और सीपीसीबी को भेजा जाता है, ताकि उद्योग द्वारा तुरंत सुधारात्मक उपाय किए जा सकें और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी/सीपीसीबी द्वारा उचित कार्रवाई की जा सके।
